



ICAR- Directorate of Foot and Mouth Disease

खुरपका मुँहपका रोग निदेशालय

(Indian Council of Agricultural Research)

(भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्)

Mukteshwar- 263138, Uttarakhand, मुक्तेश्वर-263138, उत्तराखंड

दूरभाष सं (Tel.No.): 05942-286004, 286112, फैक्स (fax): 05942.286307

ई-मेल (E-mail): pattnaikb@gmail.com, director@pdfmd.ernet.in

www.pdfmd.ernet.in



फा0 स0- 1-2 / 2016-PDFMD

दि0

सेवा में

मैसर्स.....

.....

.....

विषय: इण्टरनेशनल सेन्टर फोर खुर पका मुँह पका रोग ,अरगुल भुवनेश्वर में सुरक्षा व्यवस्था/ऑफिस पेन्ट्री प्रयोगशाला/ तकनीकी सहायक आदि।

प्रिय महोदय,

आपके पत्र दिनांक के सन्दर्भ में उपरोक्त विषय हेतु निविदा फार्म दिया जाता है। आपसे अनुरोध है कि निविदा/दर फार्म के साथ निम्नलिखित प्रपत्र जमा करें।

1. वित्तीय बोली फार्म।
2. नगद/डी0डी0/बैंकर्स चैक/एफ0डी0आर0 अग्रिम धरोहर राशि हेतु।
3. शर्तें एवं निबन्धन।
4. कार्यों का विवरण।
5. अन्य प्रपत्र निविदा के अनुसार।

धरोहर राशि तथा निविदा का मूल्य रु0 300/- (तीन सौ) मात्र लिफाफे में रखी होना अनिवार्य है।

सभी खाली स्थान ठीक से भरे होने चाहिए तथा प्रत्येक जमा किये हुए कागज/प्रपत्र बोली प्रपत्र पर फर्म के प्रधिकृत अघोहस्ताक्षरी से हस्ताक्षर/मोहर होनी चाहिए। अगर इच्छा हो तो आप इन दस्तावेजों की प्रति, प्रमाण तथा विवरण हेतु अपने पास रख सकते हैं। निविदा सूची निम्नवत होगी:-

1. प्री-बिड कान्फ्रेन्स की तिथि व समय — 15-05-2017 दिन में 10.00 बजे
2. निविदा जमा करने की तिथि व समय — 17-05-2017 दिन में 1.00 बजे तक
3. निविदा खोलने की तिथि व समय — 17-05-2017 अपराह्न 3.00 बजे

1. धरोहर राशि रु0 10,000 /-
संख्या- दिनांक
2. निविदा का मूल्य रु0 300/-
संख्या दिनांक ...

भवदीय,

सहायक प्रशासनिक अधिकारी

नोट- वेब साइट से डाउन लोड किये गये निविदा फार्म के साथ रु0 300/- मात्र का बैंक ड्राफ्ट लगाना होगा जो कि भारतीय स्टेट बैंक मुक्तेश्वर, शाखा कोड 2582 में देय होना चाहिये। अन्य बैंको का डिमान्ड ड्राफ्ट स्वीकार नहीं किया जायेगा। डिमान्ड ड्राफ्ट **'आई0सी0ए0आर0 यूनिट, डी0 एफ.एम.डी, मुक्तेश्वर'** (ICAR-Unit, PDFMD, Mukteshwar) के नाम पर बनाना होगा।

निविदादाता के लिए सामान्य निर्देश व शर्तें

1. निविदादाता को सलाह दी जाती है कि वह निविदा प्रपत्र में दिये गये निर्देशों को सावधानी पूर्वक पढ़ें तथा सभी स्तंभों को पूर्ण करें।
2. निविदा-पत्र का प्रत्येक पृष्ठ पूर्ण रूप से साफ-साफ भरा होना चाहिए तथा उस पर फर्म के अधिकृत अधिकारी (हस्ताक्षरी)के हस्ताक्षर तथा सील लगी होनी चाहिए।
3. निविदा-प्रपत्र के साथ संलग्न मूल्य अनुसूची में फर्म द्वारा अपना स्थायी तथा पत्राचार का पता अवश्य दर्शाया जाना चाहिये।
4. निविदा-प्रपत्र भरते समय सावधानी रखी जाये तथा यदि कोई त्रुटि हो जाये तो उसे ठीक करते समय निविदादाता अपने संक्षिप्त हस्ताक्षर अवश्य कर दें।
5. विलम्ब से, फैक्स के माध्यम से तथा धरोहर राशि के बिना प्राप्त होने वाली निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा।
6. वांछित धरोहर धनराशि जो कि राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी हो, **'आई0सी0ए0आर0 यूनिट, डी0 एफ.एम.डी, मुक्तेश्वर'** के नाम, नगद जमा रसीद/डी0डी0/एफ0डी0 आर0/टी0डी0आर0 जो निविदा की वैधता की तिथि के एक माह आगे तक के रूप में बंधक हो एक अलग मुहरबन्द लिफाफे जिस पर अग्रिम धनराशि **रु0 10,000/- (रुपये दस हजार)** मात्र लिखा हो, में रखी जाय। बिना निर्धारित धरोहर राशि के प्राप्त हुई निविदाएं अमान्य होंगी। बैंक ड्राफ्ट संख्या एवं तिथि दर्शाते हुए जमा की गई बयाना राशि का ब्यौरा लिफाफे के ऊपर भी अंकित किया जाए। बयाना राशि को तकनीकी बोली वाले लिफाफे में रखा जायेगा। **भारतीय स्टेट बैंक मुक्तेश्वर, नैनीताल के अतिरिक्त अन्य बैंको में देय डिमान्ड ड्राफ्ट स्वीकार नहीं किया जायेगा। डिमान्ड ड्राफ्ट आई0सी0ए0आर0 यूनिट, डी0 एफ.एम.डी, मुक्तेश्वर के नाम पर बनाना होगा।**
7. फर्म को अपने सम्पूर्ण संगठनिक व्यवस्था/स्वरूप के बारे में सूचना उपलब्ध करानी होगी।
8. फर्म कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई0पी0एफ0/ श्रम प्रवर्तन कार्यालय, सर्विस टैक्स/केन्द्रीय एजेन्सी/ई0एस0आई0 में पंजीकृत होना अति आवश्यक है। जिसके प्रमाण में आवश्यक दस्तावेजों की सत्यापित छायाप्रति अवश्य संलग्न की जाय। इसके साथ ही इन्कम टैक्स के पैन नं0 की सत्यापित प्रति भी आवश्यक रूप से संलग्न किया जाय।
9. फर्म को कम से कम तीन वर्ष का अनुभव भा0कृ0अ0प0 के संस्थानों में या विश्वविद्यालयों में या भारत सरकार/राज्य सरकार के उपक्रमों, विभाग या सहकारी संस्थाओं/नगर परिषद्/नगर पंचायत में होना आवश्यक है इस आशय का अनुभव प्रमाण पत्र निविदा के साथ अवश्य लगायें।
10. पूर्ण की हुई निविदायें **सहायक प्रशासनिक अधिकारी, निदेशालय एफ.एम.डी. मुक्तेश्वर 263138** के कार्यालय की निर्धारित तिथि व समय पर पहुंच जानी चाहिए किसी भी प्रकार के विलम्ब से प्राप्त निविदा स्वीकार नहीं होगी।
11. शर्तीयुक्त अथवा एक से अधिक प्रकार की दरों वाली निविदाएं स्वीकार नहीं होंगी। केवल एक राशि/दर दी जानी चाहिए अन्यथा प्रस्ताव निरस्त कर दिया जायेगा।
12. ठेकेदार द्वारा दी गई दरों की वैधता निविदा खुलने से 90 दिनों तक मान्य होगी।
13. वित्तीय निविदा देते समय कार्य परिमाण व उसकी प्रकृति, श्रम कानूनों व अन्य कानूनों के अन्तर्गत लागू विभिन्न दायित्वों जैसे न्यूनतम मजदूरी ई0पी0एफ0, सर्विस टैक्स आदि को ध्यान में रखते हुए दरें दें।
14. निविदा दो बोली पद्धतियों में प्रस्तुत करनी है। दोनों तकनीकी एवं वित्तीय बोली को अलग-अलग मुहरबन्द लिफाफों में प्रस्तुत करना चाहिए और उनमें तकनीकी बोली या वित्तीय बोली लिखना चाहिए। बाहर के बड़े लिफाफे पर कार्य का नाम तथा निविदा खोलने की तिथि अंकित करना चाहिए। धरोहर राशि (ई0एम0डी0) तकनीकी बोली वाले लिफाफे के साथ ही भेजें।

निविदादाता(ओं) के हस्ताक्षर.....

15. निदेशक, निदेशालय खुर पका व मुँह पका रोग, मुक्तेश्वर द्वारा प्रस्तावित इस संविदा की शर्तों में संविदा की लागू सामान्य निर्देश व शर्तों को समाविष्ट किया गया है। संविदा की सामान्य शर्तों को सम्मिलित कर बनायी गई संविदा की शर्तें एवं निविदा फार्म और इसकी अनुसूची में दी गई विशेष शर्तें एवं निबन्धन संविदा में प्रवृत्त होंगे। यदि आप संलग्न अनुसूची में दर्शायी अपेक्षाओं के अनुसार अपेक्षित सेवाएं करने की स्थिति में है तो कृपया अपनी निविदा प्रस्तुत करें।
16. निविदा फार्म की अनुसूची को पूरी तरह वापस लौटा देना चाहिए और किसी पृष्ठ को अलग नहीं करना चाहिए। ऐसी अवस्था में जब अपेक्षित प्रयोजन के लिए अनुसूची फार्म पर दी गई जगह अपर्याप्त हो रही हो तो अतिरिक्त पृष्ठ जोड़े जा सकते हैं। प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ पर क्रमवार रूप से पृष्ठ संख्या अंकित करें और उन पर निविदाकार द्वारा पूरे हस्ताक्षर किये जाएं। ऐसे मामलों में निविदा फार्म के अतिरिक्त पृष्ठों का हवाला अवश्य दिया जाए। अनुसूची के किसी संशोधन में यदि विचार करना आवश्यक है तो पूरे औचित्य सहित एक अलग पत्र के द्वारा इसे संचारित करना चाहिए।
17. यदि निविदाकार निविदाएँ डाक से भेजना चाहता है तो निविदा सिर्फ पंजीकृत डाक द्वारा ही भेजी जानी चाहिए। डाँक में विलम्ब के लिए संस्थान उत्तरदायी नहीं होगा। हाथों हाथ सुपुर्दगी वाली निविदा इस संस्थान के संविदा अनुभाग में रखी निविदा पेटी में निर्धारित तिथि व समय तक देनी चाहिए।
18. सभा भवन के समिति कक्ष में तकनीकी बोली व वित्तीय बोली की निविदाओं के खोलते समय आप स्वयं या आपके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकता है। आपकी ओर से निविदा खोलने के समय उपस्थित रहने वाले प्रतिनिधि का नाम एवं पता अपनी निविदा में अंकित करना चाहिए। कृपया अपने स्थायी प्रतिनिधि यदि कोई हो तो उसका नाम एवं पता दर्शायें।
19. तकनीकी बोली के लिए निविदाकारों से निम्नांकित दस्तावेज (सत्यापित प्रतियाँ) प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है जिनके अभाव में निविदा को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

क्रम संख्या	दस्तावेज
1.	फर्म के नाम / स्वामी के नाम का पैन कार्ड की प्रति
2.	ई.पी.एफ. ई.एस.आई. तथा श्रम विभाग में पंजीकरण संख्या उनकी वैध सत्यापित प्रति सहित।
3.	कम्पनी अधिनियम या किसी दूसरे अधिनियम के तहत फर्म पंजीकरण प्रमाणपत्र
4.	कार्यानुभव प्रमाण पत्र / फर्म के पिछले 03 वर्षों के इस क्षेत्र में संविदा के कार्यानुभव की सूची। (क्रम संख्या 09)
5.	पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान कुल विक्री या कार्य व्यापार (चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से सत्यापित वैलेंस सीट / आई0टी0सी0सी0 इत्यादि)
6.	अन्य संबंधित दस्तावेज, बैंक ब्यौरा / पता प्रूफ आदि
7.	सेवा कर पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति
8.	पिछले वित्तीय वर्ष की आयकर रिटर्न की प्रमाणित प्रति

20. मात्र वे फर्म जो तकनीकी बोली में अर्हता प्राप्त करती हैं उनकी ही वित्तीय बोली पर विचार किया जायेगा। इस विषय में कोई भी दावा या प्रतिवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

निविदादाता (ओं) के हस्ताक्षर.....

21. निदेशालय अपनी ओर से न्यूनतम दर वाली निविदा को स्वीकार करने का वचन नहीं देता है क्योंकि कम से कम दर प्रस्तुत करना ही ठेका आवंटन का आधार नहीं होगा। संस्थान को यह अधिकार होगा कि वह फर्म के अनुभव तथा उसके द्वारा प्रस्तुत दर आदि का अध्ययन कर ठेका आवंटित करें। प्रस्तुत दर के अध्ययन में न्यूनतम मजदूरी आदि का भी आधार देखा जा सकता है। साथ ही साथ निदेशालय के पास सम्पूर्ण निविदा या निविदा के किसी अंश या भाग को स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। लेकिन निविदाकार को यह स्वतंत्रता है कि वह सम्पूर्ण निविदा या उसके किसी भाग के लिए निविदा दे अथवा निविदा में यह शर्त दें कि उद्धृत दरें तभी लागू होंगी जबकी सम्पूर्ण कार्य का ठेका आवंटित किया जाय अन्यथा नहीं। इसके अतिरिक्त कोई भी सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
22. यदि एक से अधिक निविदादाताओं की दरें एक समान पायी जाती हैं तो अधिक अनुभवी निविदादाता को वरीयता दी जायेगी।
23. किसी भी रूप में निविदाकारों द्वारा अपनी निविदा के समर्थन में संपर्क स्थापित करना निषेध है। किसी भी कारण से अपने पक्ष में संपर्क करने पर निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
24. निविदाकारों को दरें अंको में एवं शब्दों में लिखनी चाहिए।
25. निविदा में भाग लेने से पहले निविदाकार को सलाह दी जाती है कि वे कार्य परिमाण (Volume) के बारे में पूरी जानकारी लेने एवं उनके द्वारा निष्पादित किये जाने वाले कार्य की प्रकृति जानने के लिए वे स्वयं कार्य स्थलों का निरीक्षण कर लें। बाद में इनके बारे में किसी भी परिस्थितियों में निदेशालय, एफ.एम.डी.मुक्तेश्वर द्वारा कोई दावा स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
26. दरें लिखने के अतिरिक्त निविदाकार को निविदा के मुद्रित फर्म में किसी शर्त का उल्लेख या किसी चार्ज, परिवर्धन, परिवर्तन, एवं संशोधन नहीं करना चाहिए।
27. निदेशक, निदेशालय खुर पका व मुँह पका रोग मुक्तेश्वर, के पास बिना कोई कारण बताये किसी निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।
28. अपूर्ण या अस्पष्ट निविदाएं निरस्त कर दी जायेगी। निविदा पर किसी तरह की काट-छाँट अधिलेखन नहीं होना चाहिए। यदि कोई कटिंग की गई है तो उसे विधिवत अनुप्रमाणित करना चाहिए। अप्रमाणित/संशोधित/अधिलेखन वाले आंकड़ों पर विचार नहीं किया जायेगा। किसी निविदा शर्त को पूरा नहीं कर रही है या किसी भी रूप में अपूर्ण है तो उसे अस्वीकृत कर दी जायेगी।

निविदादाता(ओं) के हस्ताक्षर

प्रश्नावली

निविदादाता द्वारा इस प्रश्नावली में नीचे दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर दिए जाने चाहिए । यदि कोई प्रश्न निविदादाता से संबन्धित नहीं है तो इसके लिए उन्हें 'लागू नहीं होता' लिखकर कालम पूरा करना चाहिए । निविदादाता यह भी जान लें कि यदि उनके द्वारा दिया गया उत्तर स्पष्ट नहीं है तो उनकी निविदा विचार करने योग्य नहीं होगी ।

1. निविदा संख्या निविदा प्राप्ति की दिनांक.....
2. प्रस्ताव की वैधता की तिथि :
(संस्थान द्वारा प्रस्ताव की वैधता निविदा प्राप्ति से 90 तक वांछित है यदि निविदादाता इसमें कोई परिवर्तन चाहें तो वह अवधि बढ़ा सकते हैं । 90 दिन से कम वैधता की निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा)।
3. आपका/फर्म का स्थाई आय कर खाता संख्या (PAN No.) :
4. क्या आपने निविदा के साथ अपना नवीनतम आयकर बेबाकी प्रमाण-पत्र संलग्न किया है
5. स्थिति :
 - (क) क्या आप कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ई0एस0आई0)/ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन(ई0पी0एफ0)/ श्रम प्रवर्तन कार्यालय (लेबर इन्फोर्समेंट कार्यालय) में पंजीकृत हैं? यदि हां, तो प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतियां प्रस्तुत/संलग्न करें ।
 - (ख) क्या आप इण्डियन कंपनीज एक्ट, 1956 या किसी अन्य एक्ट के अर्न्तगत पंजीकृत हैं? यदि हां, तो सत्यापित प्रति संलग्न करें ।
 - (ग) क्या आप सैन्ट्रल एक्साईज डिपार्टमेंट में सेवाकर के लिए पंजीकृत हैं? यदि हां तो कृपया प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें।
6. कृपया इंगित करें :-
अपने बैंकर(ी) का नाम तथा पूर्ण पता
बैंक खाता संख्या शाखा का नाम
आई0एफ0एस0सी0 कोड (IFSC Code)
7. क्या आपको किसी मंत्रालय/केन्द्र अथवा राज्य सरकार के किसी विभाग द्वारा दंड स्वरूप व्यवसाय करने से वंचित रखा गया है अथवा निविदाओं में सम्मिलित होने हेतु रोक लगाई गई है? यदि हां, है तो पूर्ण विवरण दें।
8. फर्म के मालिक/प्रोप्राईटर का नाम अथवा यदि फर्म साझे में है तो उनके साझेदारों के नाम (अधिकृत दस्तावेजों के साथ)

निविदादाता(ओं) के हस्ताक्षर.....

गवाहों के हस्ताक्षर
नाम एवं पता

उस व्यक्ति का पूरा नाम, पद एवं पता जिसके द्वारा
फर्म की/के लिए एवं उसकी ओर से उपरोक्त हस्ताक्षर
किए गए हैं ।

शर्तों एवं निबन्धन

1. निविदाकार को उसके हित में यह सलाह दी जा रही है कि वह निविदा के अनुबन्धों पर भलीभाँति विचार कर लें। निविदा प्रस्तुत करने के बाद वह अपने प्रस्ताव को वापस नहीं लेगा या इसकी शर्तों एवं निबन्धनों में कोई संशोधन नहीं करेगा। यदि निविदाकार पूर्ववर्ती अनुबन्धों का अनुपालन करने में असफल रहता है तो निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी और निविदाकार द्वारा जमा करायी गई बयाना राशि को संस्थान द्वारा निर्धारित तरीके से अर्जी देने पर वापस लौटा दिया जायेगा।
2. यदि निविदा में यथा अपेक्षित सम्पूर्ण सूचना नहीं दी गई है या अनुसूचियों में माँगा गया ब्यौरा पूरी तरह नहीं भरा है तो निविदा को स्वीकार नहीं किया जायेगा। निविदा या संविदा से संबंधित अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति यह स्पष्ट करें कि (1) क्या उसने हस्ताक्षर एजेन्सी के एकमात्र मालिक या ऐसे एकमात्र मालिक के संस्थापित अटर्नी की हैसियत से हस्ताक्षर किये हैं या (2) यदि साझे में फर्म चल रही है तो फर्म के एक साझेदार के रूप में, ऐसे मामले में उसके पास साझेदार के अनुबन्ध या मुख्तारनमा की हैसियत से साझे में व्यापार से संबंधित विवाद को मध्यस्थ के पास विचारार्थ भेजने का प्राधिकार होना चाहिए या (3) यदि एक कम्पनी है तो फर्म के संस्थापित अटर्नी की हैसियत से हस्ताक्षर किये हैं।
3. साझेदार फर्म के ऐसे मामले में जहाँ साझे के व्यापार से संबंधित विवादों को निर्णय हेतु भेजने का प्राधिकार किसी साझेदार को नहीं दे रखा है तो निविदा एवं सभी अन्य संबंधित दस्तावेजों पर फर्म के प्रत्येक साझेदार द्वारा हस्ताक्षर करने चाहिए। वह व्यक्ति जो दूसरे की ओर से निविदा एवं संविदा से संबंधित अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करता है, उसे वारंटी माना जाएगा और यह माना जाएगा कि उसे ऐसा करने का अधिकार प्राप्त है। यदि जाँच करने पर ज्ञात होता है कि जिस व्यक्ति ने हस्ताक्षर किये हैं उसके पास इसका अधिकार नहीं था तो संस्थान द्वारा दूसरे सिविल एवं फौजदारी उपायों पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले संविदा निरस्त कर दी जायेगी और हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को सभी लागतों एवं हानियों की भरपाई करनी पड़ेगी। निविदा के प्रत्येक पृष्ठ, निविदा की अनुसूचियों एवं संलग्न, यदि कोई हों, उस पर निविदाकार द्वारा स्याही बाल/बाल पाइन्ट पेन से हस्ताक्षर किये जाने चाहिए।
4. संस्थान द्वारा संविदा स्वीकृति की सूचना स्पीड पोस्ट पत्र या संचार के अन्य रूप में दी जायेगी। निविदा स्वीकृति का औपचारिक पत्र यथासंभव शीघ्र प्रेषित किया जायेगा लेकिन स्पीड पोस्ट पत्र आदि से पूर्व में दी गई हिदायतानुसार कार्यवाई तुरन्त करनी चाहिए।
5. ऐसे मामले में जब ठेकेदार निविदा दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट शर्तों एवं निबन्धनों के अनुसार सेवा प्रदान करने में असफल रहता है तो जमानत राशि जब्त करने के अलावा अधिकतम 10 प्रतिशत संविदा कीमत तक का दंड अधिरोपित किया जायेगा।
6. ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि को सप्ताह में कम से कम एक बार प्र0अधि0 या अनुभाग से संबंधित प्रभारी के साथ किसी सुझाव/मांग हेतु नियमित रूप से संपर्क करना होगा।
7. एजेन्सी को पूर्ववर्ती माह के दौरान की गई सेवाओं के लिए श्रम दायित्वों तथा सेवाकर के ब्यौरे के साथ अनुगामी माह के प्रथम कार्य दिवस में मासिक बिल प्रस्तुत करने होंगे। ठेकेदार मासिक बिल के साथ समस्त कार्य स्थलों के संबंधित नोडल अधिकारियों से कार्य संतोषजनक (Performance Satisfactory) रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेगा। मासिक बिल का भुगतान संतोषजनक कार्य रिपोर्ट के आधार पर ही किया जायेगा।
8. ठेकेदार को भी अपने कामगारों की मजदूरी का भुगतान प्रत्येक माह की 07 तारीख तक चेक द्वारा नोडल अधिकारी अथवा उनके नामित अधिकारी के सामने करने की व्यवस्था करनी होगी।

निविदादाता(ओं) के हस्ताक्षर.....

9. कार्य पालन की अवधि कार्य प्रारम्भ करने से 03 माह की प्रारम्भिक परीक्षण अवधि सहित एक वर्ष के लिए हो सकती है, जोकि कार्य निष्पादन पर निर्भर करेगी (यदि कार्य संतोषजनक पाया जाता है तो इसे बढ़ाया जा सकता है) अन्यथा निदेशक, निदेशालय खुर पका व मुँह पका रोग, मुक्तेश्वर के पास इस अवधि को पूर्व में ही समाप्त करने का विकल्प सुरक्षित है या नीचे दर्शायी गई किसी परिस्थितियों आ जाने पर कम से कम एक कैलेंडर माह की सूचना देकर निदेशक, परियोजना निदेशालय खुर पका व मुँह पका रोग, मुक्तेश्वर बिना किसी कारण से संविदा का समाप्त कर सकता है।

1.	यदि ठेकेदार कथित सेवाएं करने में असफल रहता है या सेवाएं प्रदान करने में लापरवाही बरतता है या निदेशक, निदेशालय खुर पका व मुँह पका रोग को संतोषजनक सेवाएं नहीं दे पाता है या ठेकेदार ठेके के तहत अपने किसी दायित्व का पालन नहीं करता है।
2.	यदि ठेकेदार का व्यापार समाप्त हो गया है, विधटित हो गया है या उसने कोई रिसीवर नियुक्त कर दिया है या जायदाद एवं परिसम्पत्तियों के संबंध में कुर्की हो गई है।

10. यदि निविदाकार कार्य प्रारम्भ करने के लिए सप्रेषित की गई औपचारिकताओं जोकि निविदा स्वीकृति के पत्र के अनुसार पूरी करनी होगी, को पूरा करने में असफल रहता है तो बयाना राशि को जब्त कर लिया जायेगा।
11. प्रतिभूति जमा- संविदा की कुल कीमत की 10 प्रतिशत जमानत निधि होगी जिसे संविदाकार को कार्य सौंपने से पूर्व डिमांड ड्राफ्ट/एफ0डी0आर0/टी0डी0आर0 के रूप में जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में आहरित हो और पी0डी0एफ0एम0डी0, मुक्तेश्वर के नाम गिरवी हो ठेका प्रदान करने की तिथि से 10 दिन के अन्दर तथा ठेका देने की तिथि से 18 माह के लिए जमा करना होगा। ऐसा न करने पर दिया गया ठेका निरस्त कर दिया जायेगा और ई0एम0डी0 जब्त कर ली जायेगी।
12. सफल निविदाकारों को रुपये 500/- के न्यायिकेतर स्टाम्प पेपर पर एक अनुबन्ध पर हस्ताक्षर करने होंगे और निविदा की स्वीकृति के पत्र की प्राप्ति से 07 दिन के अन्दर इसे प्रस्तुत करना होगा। यदि कार्य आदेश के अनुसार निविदाकार कार्य प्रारम्भ नहीं करता है तो ई0एम0डी0 जब्त कर ली जायेगी।
13. ठेका आवंटित होने के पश्चात् सभी कार्यों को विभिन्न अधिनियमों के अनुसार कराने का दायित्व ठेकेदार का होगा न कि संस्थान का। कार्य पर लगाये जाने वाले कर्मचारी को **समय-समय पर लागू संशोधित न्यूनतम मजदूरी, ई0 पी0 एफ0**, का अंशदान जमा करने तथा सर्विस टैक्स के भुगतान का उत्तरदायित्व पूर्णरूप से ठेकेदार का होगा। यदि ठेकेदार इसका पालन करने में असमर्थ होता है तो उसको आवंटित ठेका निरस्त कर नियमानुसार अन्य उचित कार्यवाही की जायेगी। संस्थान को पूर्ण अधिकार होगा कि संबंधित दायित्वों की वसूली ठेकेदार के बिल से तथा धरोहर राशि से करे।
14. इस ठेका या इसके किसी भाग को ठेकेदार किसी दूसरी पार्टी के साथ साझा नहीं करेगा।
15. ठेकेदार द्वारा लगाये गये कामगार, निदेशालय खुर पका व मुँह पका रोग, मुक्तेश्वर के मास्टर रोल पर नहीं माने जायेगें और निदेशालय खुर पका व मुँह पका रोग के कर्मचारियों के लिए यथा लागू किसी हितलाभ के हकदार नहीं होंगें एवं उनके साथ कर्मचारी-नियोक्ता संबंधी कोई संबंध नहीं होगा।
16. ठेकेदार द्वारा नियुक्त किसी श्रमिक की सत्यनिष्ठा, चरित्र पर शंका होने पर सक्षम अधिकारी से निर्देश प्राप्त होने पर ठेकेदार को उसकी जगह दूसरा व्यक्ति नियुक्त करना होगा।

निविदादाता(ओं) के हस्ताक्षर.....

17. ठेकेदार आवंटित कार्य के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होगा और आवंटित कार्य को करने के अलावा किसी दूसरी गतिविधियों में संलिप्त नहीं रहेगा। यदि संस्थान की सम्पत्ति को कोई हानि/क्षति होती है तो ऐसे मामले में संस्थान के हित में निदेशक क्षतिपूर्ति के लिए उचित दंड अधिरोपित करेंगे।
18. निदेशालय,एफ0एम0डी0, मुक्तेश्वर के पहरा एवं निगरानी स्टाफ को ठेकेदार एवं उसके व्यक्तियों को जब भी वे संस्थान परिसर से बाहर जायेंगे तो उनकी तलाशी लेने का अधिकार है और ठेकेदार या उसके कामगारों को इस पर कोई कारण या वजह नहीं बताई जायेगी।
19. ठेकेदार अपने द्वारा लगाये गये श्रमिकों/कार्यकर्ताओं/पर्यवेक्षकों के संबंध में सभी कानूनी व अन्य दायित्व चाहें वो वह मजदूरी, वेतन, तथा सेवा शर्तों से संबंधित हो या अन्य प्रकार के लिए पूर्णतः स्वयं जिम्मेदार होगा। साथ ही साथ इस संविदा कार्य से संबंधित सभी नियम, निर्देश व अधिनियम जो भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय में समय पर जारी किये जाते हैं उनका भी अनुपालन करेगा। यदि ठेकेदार विभिन्न कानूनों व नियमों में वर्णित दायित्वों या जिम्मेदारियों को निभाने में चूक करता है तो उसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार की क्षति दावें या नुकसान की क्षतिपूर्ति स्वयं करेगा तथा निदेशालय,एफ0एम0डी0 को भी क्षति मुक्त (indemnified)रखेगा। किसी विवाद की स्थिति में निदेशक, निदेशालय,एफ0एम0डी0, मुक्तेश्वर का निर्णय संविदाकार को मान्य होगा।
20. निदेशालय खुर पका व मुँह पका रोग,मुक्तेश्वर बिना कोई कारण बताये 30 दिन का नोटिस देकर ठेका को समाप्त कर सकता है और यदि ठेका की अवधि कम कर दी है तो ठेकेदार का कोई दावा स्वीकृत नहीं किया जायेगा। यदि ठेकेदार संस्थान को सेवा नहीं देना चाहता है तो उसको 60 दिन पूर्व संस्थान को सूचित करना होगा। न की गयी सेवा की अवधि के लिए उसी अनुपात में धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।
21. संविदा में कार्यबिन्दुओं की संख्या को 25 प्रतिशत तक घटाया या बढ़ाया भी जा सकता है। इससे अधिक होने पर फर्म से संस्तुति ली जाएगी।
22. (अ) सभी विषयों में निदेशक, निदेशालय खुर पका व मुँह पका रोग का निर्णय अंतिम होगा।
(ब) ठेके के अन्तर्गत कोई विवाद उत्पन्न होने पर मामला Arbitration & Conciliation Act, 1996 के तहत सुलझाया जायेगा। Arbitrator की नियुक्ति महानिदेशक, भा0कृ0अ0प0, नई दिल्ली द्वारा की जायेगी। तथा Arbitrator का निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
(स) ठेके के अन्तर्गत कोई विवाद उत्पन्न होने पर न्यायालय क्षेत्र नैनीताल होगा।
23. ऐसी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए निविदाकार के पास श्रम-आयुक्त की ओर से जारी वैध लाइसेंस होना चाहिए (निविदा दस्तावेजों के साथ उसकी सत्यापित प्रति संलग्न की जाए)। यदि निविदाकार निविदा के साथ लाइसेंस प्रस्तुत नहीं करता है तो ठेका अवार्ड होने से 21 दिन के अन्तर्गत उसको लाइसेंस प्रेषित करना होगा, ऐसा न करने पर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।
24. कार्य के लिए तैनात व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से अधिक हो, स्वस्थ हो तथा कार्य की अपेक्षाओं के अनुसार सौंपे गये कार्य को संभालने/करने हेतु पर्याप्त कुशल हो। उन्हें समय अनुसूची के अनुसार निर्धारित समय/स्थान पर पर्यवेक्षी स्टाफ को अपनी ड्यूटी की रिपोर्ट देनी है। संबंधित प्रभारी द्वारा दिये गये निर्देशानुसार कार्य करना है तथा कार्यालय की गोपनीयता को बनाए रखनी होगी।
26. संविदाकार/प्राधिकृत प्रतिनिधि को विभिन्न तरह के कार्यों में लगे अपने व्यक्तियों का पर्यवेक्षण करने हेतु सम्पूर्ण कार्य अवधि के लिए नियमित रूप से कार्यस्थल में उपस्थित रहना आवश्यक है।

निविदादाता(ओं) के हस्ताक्षर.....

27. कार्य पर तैनात कामगारों की दैनिक उपस्थिति पंजिका (शीट) निविदाकार द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित होनी चाहिए और उसे संबंधित प्रभारी को सौंपी जानी चाहिए।
28. किसी अपूर्व परिस्थिति जिनका उल्लेख इस शर्तों एवं निबन्धनों में नहीं किया गया है के तहत, जैसा भी उचित समझा जाता है, उचित कार्यवाही निदेशालय खुर पका व मुँह पका रोग के अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
29. संविदाकार/एजेन्सी जिन कर्मियों को काम पर लगायेगी उनका पूरा ब्यौरा जैसे नाम, पिता का नाम, आयु, पता, योग्यता, तकनीकी योग्यता (जहाँ अपेक्षित है) फोटो आदि संविदा अनुभाग को नोडल अधिकारी के माध्यम से उपलब्ध करायेगी।
30. उपलब्ध कराये गये कार्मिक सीधे संविदाकार/एजेन्सी के अधि-सम्बद्ध होंगे। यद्यपि वे निदेशालय खुर पका व मुँह पका रोग के द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दैनिक/मासिक आधार पर दिये जाने वाले मौखिक/लिखित निर्देश का अनुपालन करेंगे।
31. संविदाकार उद्धृत दरों में सभी संभावित लागतें जैसे न्यूनतम मजदूरी, (संशोधित दरों सहित) ई0पी0एफ0, तथा अन्य कानूनी दायित्व, बोनस, परिवहन लागत, वर्दी, ओ0टी0ए0 आदि सम्मिलित करें। किसी भी मामले में निदेशालय खुर पका व मुँह पका रोग द्वारा कोई अतिरिक्त चार्ज वहन नहीं किया जायेगा।
32. नियमानुसार देय टी0डी0एस0 की कटौती भुगतान से की जायेगी।
33. विशेष परिस्थितियों में यदि संविदाकार से कामगार व्यक्ति उपलब्ध कराने के लिए कहा जाता है तो बिना किसी चार्ज के उसको लगाना होगा।
34. कार्य का समय-समय पर अवलोकन किया जाएगा एवं कार्य आरम्भ होने के बाद यदि किसी संशोधन की आवश्यकता होती है तब दी गई अवधि के अन्दर ही कार्य करवाना होगा।
35. ठेकेदार द्वारा कामगारों को दी जाने वाले मजदूरी /ई0पी0एफ0 व सर्विस टैक्स जमा का विवरण प्रत्येक माह संस्थान को देना होगा।
36. यदि कार्य पर लगाये गये **ड्राइवर को सरकारी कार्य से मुख्यालय से बाहर जाना पड़ा तो उसके टी0ए0, डी0ए0 का भुगतान ठेकेदार को करना होगा।**
37. **तरलता क्षति शर्त (Liquid damage clause)**
 - i. संस्थान के समयबद्ध कार्यकलापों के निष्पादन हेतु सभी कामगारों के लिए ड्यूटी पर नियमितता एवं समय पालन बहुत जरूरी है। अनुबंधित समय से कार्य में देरी से आने, कार्य स्थल से जल्दी जाने, कार्य से अनुपस्थित रहने पर या कार्य समय से सम्पादित न करने पर ठेके की शर्तों एवं निबन्धनों के अनुसार रू0 500/- प्रतिदिन प्रति कार्य स्थल की कटौती की जायेगी।
 - ii. आदेशों में दर्शायी गई अवज्ञा के अतिरिक्त संविदागत कामगारों में आपसी दुर्व्यवहार या उनके द्वारा कार्य पर तैनात सरकारी स्टाफ के साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार करने को एक गम्भीर मुद्दा माना जायेगा और जैसा भी उचित समझा जायेगा, कार्यवाही सुरनिश्चित की जायेगी। सामान्यता संविदागत कामगारों में आपसी दुर्व्यवहार या कार्यरत सरकारी स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार करने के मामले को बड़ी अनुशासनहीनता वाली गतिविधि माना जायेगा और संबंधित कामगार को तुरन्त परियोजना निदेशालय खुर पका व मुँह पका रोग से हटा दिया जायेगा।
38. **जोखिम शर्त Risk clause** यदि फर्म का कार्य असंतोषजनक पाया जाता है तो संस्थान को संविदा को किसी भी समय बिना सूचना के निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा। इस विषय में फर्म को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा जिसका जबाब एक हफ्ते में देना होगा। संस्थान को यह भी अधिकार होगा कि वह संविदा कार्य किसी और फर्म को दे दे जिसका जोखिम तथा लागत वर्तमान फर्म के ऊपर होगा। इसमें जो भी अतिरिक्त खर्च होगा उसकी बसूली वर्तमान फर्म की जमानत राशि या लाम्बित पड़े बिलों से या संस्थान अलग से बसूली दावा करेगा।
39. **ठेका अवधि के दौरान भारत सरकार द्वारा देय न्यूनतम मजदूरी में जो भी वृद्धि की जायेगी उसी आधार पर कामगार व्यक्ति को बढ़े हुए दरों से भुगतान करना होगा जिसके लिए ठेका अवधि के दौरान कोई अतिरिक्त भुगतान निदेशालय द्वारा नहीं किया जायेगा अतः आपके द्वारा प्रस्तुत निविदा रेट से ही बढ़ी दरें देय होंगी तथा प्रत्येक कामगार को भुगतान चैक के माध्यम से भारतीय स्टेट बैंक के (Account Payee Cheque) के आधार पर प्रभारी संविदा के सम्मुख करना होगा।**

निविदादाता(ओं) के हस्ताक्षर.....

40. जिन-जिन कार्य क्षेत्रांक में सप्ताह में सात (07) दिनों के कार्यदिवस होंगे, निविदाकार को सम्बन्धित कामगार को साप्ताहिक अवकाश देना होगा तथा उस कार्यक्षेत्र की प्रतिपूर्ति हेतु रिलीवर **(Reliver)** की व्यवस्था करनी होगी।
41. निविदा लागू होने के (15) दिनों के भीतर ठेके पर लगाए गये सभी श्रमिकों को उनके ई0पी0एफ0 एकाउंट न0/यू0ए0एन0 नम्बर ठेकेदार द्वारा उपलब्ध करा दिया जाएगा। ताकि श्रमिक आन लाईन से अपना ई0पी0एफ0 देख सकें।
42. ठेकेदार सभी श्रमिकों एवं कार्यालय को ई0पी0एफ0 के भुगतान की जानकारी प्रत्येक माह उपलब्ध करायेंगे।
43. ठेकेदार ऐसी व्यवस्था करेंगे ताकि हर माह श्रमिकों को मोबाइल पर उनके ई0पी0एफ0 भुगतान की जानकारी मिल सके।

निविदादाता(ओं) के हस्ताक्षर.....

मांगे गये दस्तावेज जिस पृष्ठ पर रखे गये हों, पृष्ठ संख्या इंगित करें।

क्रम सं०	प्रपत्र	प्रपत्र निविदा के साथ संलग्न (हाँ/नहीं)	पृष्ठ संख्या
1.	फर्म के नाम / स्वामी के नाम का पैन कार्ड की प्रति		
2.	ई.पी.एफ./ई0एस0आई0		
3.	श्रम विभाग में पंजीकरण संख्या उनकी वैध सत्यापित प्रति सहित।		
4.	कम्पनी अधिनियम या किसी दूसरे अधिनियम के तहत फर्म पंजीकरण प्रमाणपत्र		
5.	कार्यानुभव प्रमाण पत्र/फर्म के पिछले 03 वर्षों के इस क्षेत्र में संविदा के कार्यानुभव की सूची। भा0कृ0अ0प0/ भारत सरकार/अर्धसरकारी संस्थानों में कार्य अनुभव रखने वालों को प्राथमिकता दी जायेगी।		
6.	पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान न्यूनतम कुल विक्री या कार्य व्यापार (चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से सत्यापित वैलेंस सीट)		
7.	अन्य संबंधित दस्तावेज, बैंक ब्यौरा/पता प्रूफ आदि		
8.	सेवा कर पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति		
9.	धरोहर राशि (ई0एम0डी0) का विवरण	संख्या..... दिनांक	
		रूपये	
		(शब्दों में).....	
		
10.	पिछले वित्तीय वर्ष के आयकर रिटर्न का प्रमाण पत्र		

नोट:- पूर्ण निविदा फार्म/प्रपत्रों पर पृष्ठ संख्या दर्शायी होनी चाहिए।

निविदादाता(ओं) के हस्ताक्षर.....

मूल्य अनुसूची

सेवा में,

निदेशक महोदय,
खुर पका एवं मुँह पका रोग, निदेशालय
मुक्तेश्वर कुमाऊ।

संदर्भ आपका निविदा प्रपत्र सं.

विषय:- संयुक्त कार्य का ठेका

मैंने/हमने उपरोक्त लिखित कार्य हेतु प्राप्त इस निविदा पत्र पर दिये गये सभी सलंगनकों नियम एवं शर्तों को ध्यान पूर्व पढ़ एवं समझ लिया है तथा इसकी पुष्टि करते हुए निम्नांकित दर प्रस्तुत करता हूँ/करते हैं।

उपरोक्त विषय कार्य रू०-----रूपए प्रतिमाह
उपरोक्त दरे सभी कर (यदि लागू होते है तो) सहित है ।

मैं/हम यह वचन देता हूँ/देते है कि यदि मेरी/हमारी दरें स्वीकार कर ली जाती है तो मेरे/हमारे द्वारा उक्त निविदा प्रपत्र में दिये गये कार्य विवरण नियम व शर्तों को मानते हुये कार्य को संतोषजनक ढंग से करवाया जायेगा ।

यदि हमारा/मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो नियम एवं शर्तों के अनुसार वांछित धरोहर राशि जो कि ठेके की कुल लागत का 10 प्रतिशत होगी प्रस्तुत/जमा करूंगा ।

मैं/हम निविदा अनुसूची में दी गयी दरो की वैधता (यदि इसमे कोई बदलाव हो तो अलग से उल्लेख किया जाय) की अवधि या मेरे/हमारे द्वारा अगली बढ़ायी गयी अवधि को उसकी समाप्ति होने तक मानने को बाध्य होऊंगा/होंगे ।

जब तक संविदा करार तैयार एवं लागू किया जाता है तो आपके द्वारा इस सम्बन्ध में दी गयी लिखित स्वीकृती या आपके द्वारा जारी आवंटन की अधिसूचना ही मेरे/हमारे मध्य संविदा करार मानी जायेगी। यह मेरे/हमारे संज्ञान में भली-भांति से है कि आपके द्वारा उपरोक्त कार्य हेतु प्राप्त निविदाओ में आप न्यूनतम अथवा किसी अन्य निविदा को स्वीकार करने हेतु बाध्य नहीं है एवं सक्षम अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय मुझे /हमे मान्य होगा ।

दिनांक
निविदाताओ के हस्ताक्षर
नाम
पता
फोन न०
मोहर